न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 258 सन 2020

अनवान :–

1. रोहताश पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रूपसिह पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
2. जगदीशसिह पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
3. दीपसिह पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
4. शिशपालसिह पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
5. इन्द्राकंवर पत्नी महावीर पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. अजयसिह पुत्र महावीरसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
7. सुरेन्द्रसिह पुत्र महावीरसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
8. श्रीकंवर पत्नी चन्द्रसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
9. विमला पुत्री चन्द्रसिह उर्फ भवंरसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. किरण पुत्री चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर
11. सन्तोष पुत्री चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर
12. सुमित्रा पुत्री चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर
13. नानू पुत्री चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
14. राजूबाई पुत्री महावीरसिह पुत्र चद्रसिह उर्फ भवंरसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. मिनू बाई पुत्री महावीरसिह पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. ममता पुत्री महावीरसिह पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 05/04/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 131/132 की कुल 9.3570हैक व खाता संख्या 581/571 की कुल 6.5380हैक में से 2175/13076 हिस्सा चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह पुत्र पदमसिह के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व/वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह पुत्र पदमसिह के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह पुत्र पदमसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है अर्थात वाद भूमि जो चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह पुत्र पदमसिह के नाम से दर्ज के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 विरास्तन से हकदार हे तथा एक खाते में उनके नाम से दर्ज भी जा चुकी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 8 वादी की माता , प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 वादी की बहने है चन्द्रसिह की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 वादी के मतृक भाई महावरी की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 8 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 जो वादी के माता /बहने है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह पुत्र पदमसिह के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है तथा चन्द्रसिह के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 जायज वारिस है चन्द्रसिह के नाम से दर्ज भूमि कें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 16 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 17 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 131/132 की कुल 9.3570हैक व खाता संख्या 581/571 की कुल 6.5380हैक में से 2175/13076 हिस्सा चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह पुत्र पदमसिह के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व/वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह पुत्र पदमसिह के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह पुत्र पदमसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है अर्थात वाद भूमि जो चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह पुत्र पदमसिह के नाम से दर्ज के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 विरास्तन से हकदार हे तथा एक खाते में उनके नाम से दर्ज भी जा चुकी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 8 वादी की माता , प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 वादी की बहने है चन्द्रसिह की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 वादी के मतृक भाई महावरी की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 8 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 131/132 की कुल 9.3570हैक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम व खाता संख्या 581/571 की कुल 6.5380हैक में से 2175/13076 हिस्सा चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह पुत्र पदमसिह के नाम सें दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व/वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह पुत्र पदमसिह के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह पुत्र पदमसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है अर्थात वाद भूमि जो चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह पुत्र पदमसिह के नाम से दर्ज के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 विरास्तन से हकदार हे तथा एक खाते में उनके नाम से दर्ज भी जा चुकी है अर्थात वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के हक हिस्सा की भूमि है अपने कथनों के समर्थन में चन्द्रसिह का मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पूष्टि होती है अर्थात चन्द्रसिह के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 है जो चन्द्रसिह के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है एवं एक चक में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के नाम दर्ज भी हो चुकी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 8 ता 16 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 8 ता 16 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 16 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 131/132 की कुल 9.3570हैक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 16 के नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 5/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिब 1/6 हिस्सा (पूर्व हिस्सा को शामिल करते हुए) व खाता संख्या 581/571 की कुल 6.5380हैक में से 2175/13076 हिस्सा चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह पुत्र पदमसिह के नाम सें दर्ज है मृतक चन्द्रसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 5/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आशय की पंचो डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03/04/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रोहताश पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रूपसिह पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत साकिन गन्दरपुरा तहसील नोहर ।
2. जगदीशसिह पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
3. दीपसिह पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
4. शिशपालसिह पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
5. इन्द्राकंवर पत्नी महावीर पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. अजयसिह पुत्र महावीरसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
7. सुरेन्द्रसिह पुत्र महावीरसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
8. श्रीकंवर पत्नी चन्द्रसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
9. विमला पुत्री चन्द्रसिह उर्फ भवंरसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. किरण पुत्री चन्द्रसिह उर्फ भंवरसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर
11. सन्तोष पुत्री चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर
12. सुमित्रा पुत्री चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर
13. नानू पुत्री चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर ।
14. राजूबाई पुत्री महावीरसिह पुत्र चद्रसिह उर्फ भवंरसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. मिनू बाई पुत्री महावीरसिह पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. ममता पुत्री महावीरसिह पुत्र चन्द्रसिह जाति राजपूत साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 258 सन 2021 निर्णय दिनांक– 05/04/2024

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 131/132 की कुल 9.3570हैक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 16 के नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 5/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिब 1/6 हिस्सा (पूर्व हिस्सा को शामिल करते हुए) व खाता संख्या 581/571 की कुल 6.5380हैक में से 2175/13076 हिस्सा चन्द्रसिह उर्फ भवरसिह पुत्र पदमसिह के नाम सें दर्ज है मृतक चन्द्रसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 5/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

वाद पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर